



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : SEPTEMBER 8, 2026



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. इसरो का कोई निजीकरण नहीं, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विस्तार की परिकल्पना.....	2
2. रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने ₹1.1 लाख करोड़ के अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी	4
3. स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 रैंकिंग.....	5
4. महामारी की तैयारी के लिए मौसमी इन्फ्लूएंजा के प्रकोप से सबक.....	6
5. ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में चीन की प्रगति और तकनीकी निहितार्थ	7
6. टैरिफ युद्ध और वैश्विक व्यापार की नाजुकता: लक्ज़मबर्ग के उप-प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण.....	9
7. इसरो ने EOS-05 उपग्रह को दीर्घवृत्ताकार भू-तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया	10
7A. एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी संक्रमण: जोखिम, लागत और नैदानिक अनिवार्यताएं	11
8. शीर्ष सिख धार्मिक संस्था ने 15 वर्षों से चुनाव क्यों नहीं कराए हैं	13
9. नामे डोगरा आखर का पुनरुत्थान: जम्मू में डोगरी लिपि का पुनर्जागरण	14
10. क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की शुरुआत के बाद सेबी ने डेरिवेटिव निपटान तंत्र का पुनर्मूल्यांकन किया.....	15
11. 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: विस्तारित समूह का मार्गदर्शन करने का भारत का जनादेश	17
12. भारत में निकोटीन पाउच को नियंत्रित करने वाला नियामक शून्य (Regulatory Vacuum).....	18

SIXSIGMA IAS
Dream | Dare | Deliver

1. इसरो का कोई निजीकरण नहीं, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विस्तार की परिकल्पना

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

• **निजीकरण पर स्पष्टीकरण:** इसरो (ISRO) के अध्यक्ष वी. नारायणन ने कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करते हुए स्पष्ट किया कि इसरो एक सरकारी संगठन बना हुआ है, जो सार्वजनिक निवेश से समर्थित है और इसका कोई निजीकरण नहीं किया जा रहा है। • **अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का विस्तार:** निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी का प्राथमिक लक्ष्य बढ़ती तकनीकी और वाणिज्यिक मांगों को पूरा करने के लिए भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) को विकसित करना है। • **उपग्रह प्रक्षेपण में कमी (Shortfall):** भारत की लगभग 500 उपग्रहों की राष्ट्रीय आवश्यकता के मुकाबले इसरो वर्तमान में अंतरिक्ष में केवल 56 परिचालन उपग्रहों का रखरखाव कर रहा है, जिसके लिए तीव्र क्षमता विस्तार (Scalability) की आवश्यकता है। • **प्रक्षेपण आवृत्ति का लक्ष्य:** परिचालन अंतराल को पाटने के लिए, अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को सालाना लगभग 50 रॉकेट प्रक्षेपण के एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य की

आवश्यकता है। • **गहन उद्योग एकीकरण:** इसरो के बजट का लगभग 80% हिस्सा पहले से ही बाहरी उद्योगों में निवेश किया जाता है, जिसमें 450 से अधिक औद्योगिक भागीदार ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) और भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (GSLV) मिशनों में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। • **IN-SPACe के साथ तालमेल:** 'इन-स्पेस' (IN-SPACe) जैसी एकल-खिड़की नोडल संस्थाओं के साथ सहयोग का उद्देश्य गैर-सरकारी संस्थाओं को प्रक्षेपण यान, उपग्रह और अंतरिक्ष-आधारित अनुप्रयोगों का निर्माण करने में सक्षम बनाना है।

आवश्यक परिभाषाएं

• **अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था (Space Economy):** गतिविधियों की वह संपूर्ण श्रृंखला और संसाधनों का उपयोग जो अंतरिक्ष के अन्वेषण, समझ, प्रबंधन और उपयोग के क्रम में मनुष्यों के लिए मूल्य और लाभ उत्पन्न करते हैं। • **इन-स्पेस (IN-SPACe):** भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकृत केंद्र - अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त एकल-खिड़की नोडल एजेंसी, जिसे निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, अधिकृत करने और उनका मार्गदर्शन (Handholding) करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। • **न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL):** इसरो की वाणिज्यिक शाखा जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण, उद्योग भागीदारों के माध्यम से प्रक्षेपण यानों के निर्माण और उपग्रह प्रक्षेपण के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

• **भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023:** एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है जो इसरो को उन्नत अनुसंधान और विकास (R&D) पर केंद्रित रखते हुए अंतरिक्ष गतिविधियों में गैर-सरकारी संस्थाओं (NGEs) की शुरू से अंत तक (End-to-End) भागीदारी को सक्षम बनाता है। • **भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम:** रणनीतिक नीति निष्पादन को सुव्यवस्थित करने के लिए अंतरिक्ष विभाग को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के दायरे में रखा गया है। • **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(h):** प्रत्येक नागरिक पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करने का एक मौलिक कर्तव्य आरोपित करता है।

निष्कर्ष

निजी क्षेत्र के सहयोग को बढ़ावा देते हुए इसरो की सार्वजनिक पहचान को बनाए रखना राष्ट्रीय अंतरिक्ष विकास के लिए एक रणनीतिक दृष्टि को उजागर करता है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का विस्तार करने से भारत क्षमता अंतराल को पाटने, उपग्रहों की बढ़ती मांगों को पूरा करने और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए खुद को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में सक्षम होगा।

यूपीएससी प्रासंगिकता

• **GS Paper III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी):** प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), और अंतरिक्ष संपत्तियों का व्यवसायीकरण। • **GS Paper II (शासन):** संस्थागत सुधार, IN-SPACe जैसी स्वायत्त संस्थाओं की भूमिका, और उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए नीतिगत ढांचे।

2. रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने ₹1.1 लाख करोड़ के अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

• **बड़ा रक्षा पूंजीगत खरीद दायरा:** रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने सेना, नौसेना और वायु सेना के लगभग ₹1,10,000 करोड़ के खरीद प्रस्तावों के लिए 'आवश्यकता की स्वीकृति' (Acceptance of Necessity - AoN) प्रदान की है। • **स्वदेशीकरण पर जोर:** "मेक इन इंडिया" पहल के तहत कुल स्वीकृत अधिग्रहणों का लगभग 98% सीधे घरेलू रक्षा उद्योग से प्राप्त किया जाएगा। • **थल सेना की परिचालन गतिशीलता:** खतरनाक वातावरण की निगरानी के लिए सीबीआरएन (CBRN) रेकी वाहनों, हाई मोबिलिटी व्हीकल्स (HMTVs), सेल्फ-प्रोपेल मेकेनाइज्ड माइन लेयर्स (MMLs), ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम सहित महत्वपूर्ण संपत्तियों को मंजूरी दी गई। • **नौसेना वायु और प्रणोदन उन्नयन:** नौसेना के हवाई स्टेशनों पर पुराने एयर रूट सर्विलांस राडार को बदलने के लिए स्वदेशी अरुद्धा 4D राडार, तथा युद्धपोत प्रणोदन (Propulsion) के लिए मरीन गैस टर्बाइन (MGTs) के लिए AoN प्रदान की गई। • **वायु सेना इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली:** विरोधी राडार का मुकाबला करने के लिए ग्राउंड-बेस्ड मल्टी-पर्पज जैमर्स (GBMPJs), एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स (ALHs), और RFID-आधारित रक्षा बल सुरक्षित पहुंच कार्ड (DEFSAC) प्रणाली को मंजूरी दी गई। • **रणनीतिक स्वायत्तता:** प्रणोदन प्रणालियों और उन्नत सेंसरों की स्वदेशी खरीद से महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी उन्नयन के लिए विदेशी ओईएम (Original Equipment Manufacturers) पर परिचालन निर्भरता में भारी कमी आती है।

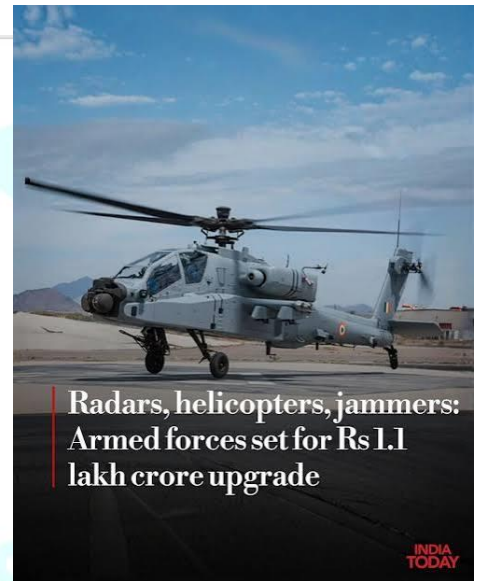
आवश्यक परिभाषाएं

• **आवश्यकता की स्वीकृति (AoN):** DAC द्वारा दी गई औपचारिक सैद्धांतिक प्रशासनिक स्वीकृति जो रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) के तहत रक्षा खरीद प्रक्रिया शुरू करती है। • **अरुद्धा राडार (Arudhra Radar):** DRDO द्वारा विकसित और BEL द्वारा निर्मित एक स्वदेशी 4D बहु-कार्य सक्षम एक्टिव फेस्ड एरे राडार, जो इलेक्ट्रॉनिक बीम स्टीयरिंग के साथ हवाई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम है। • **CBRN रेकी वाहन:** रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (CBRN) एजेंटों से दूषित क्षेत्रों का पता लगाने, पहचानने, निगरानी करने और उन्हें चिह्नित करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक विशेष बख्तरबंद वाहन।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

• **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020:** 'बाय (इंडियन-आईडीडीएम)' और 'मेक' श्रेणियों के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को प्राथमिकता देते हुए भारतीय सशस्त्र बलों के लिए पूंजीगत अधिग्रहण को नियंत्रित करती है। • **सातवीं अनुसूची (संघ सूची - प्रविष्टि 1 और 2):** भारत की रक्षा और नौसेना, सेना तथा वायु सेना को केंद्रीय संसद के विधायी दायरे के तहत विशेष विषय के रूप में नामित करती है। • **कार्य संचालन नियम, 1961 (Transaction of Business Rules, 1961):** केंद्रीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली DAC को पूंजीगत रक्षा खरीद तय करने का संस्थागत अधिकार प्रदान करता है।

निष्कर्ष



Radars, helicopters, jammers:
Armed forces set for Rs 1.1
lakh crore upgrade

INDIA
TODAY

DAC की ₹1.1 लाख करोड़ की अधिग्रहण मंजूरी संरचनात्मक आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाते हुए भारत के रक्षा आधुनिकीकरण को सुदृढ़ करती है। लगभग सभी उपकरणों को घरेलू स्तर पर हासिल करने से राष्ट्रीय रक्षा औद्योगिक आधार मजबूत होता है, विदेशी विक्रेताओं पर निर्भरता कम होती है, और बहु-क्षेत्रीय युद्धक्षेत्रों (Multi-domain battlefields) में संयुक्त बल की तैयारी में वृद्धि होती है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

• **GS Paper III (सुरक्षा):** रक्षा स्वदेशीकरण, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, और सैन्य बल आधुनिकीकरण। • **GS Paper II (शासन):** संस्थागत निर्णय लेने का ढांचा (DAC), रक्षा खरीद नीतियां, और राष्ट्रीय सुरक्षा शासन।

3. स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 रैंकिंग

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

• **श्रेणी 1 के शीर्ष प्रदर्शनकर्ता (>10 लाख आबादी):** लखनऊ ने प्रथम पुरस्कार (₹1.50 करोड़) प्राप्त किया, इसके बाद इंदौर दूसरे स्थान पर (₹1 करोड़) और जबलपुर तीसरे स्थान पर (₹50 लाख) रहा। • **श्रेणी 2 और 3 के विजेता:** राउरकेला श्रेणी 2 (3-10 लाख आबादी) में शीर्ष पर रहा, जिसके बाद फिरोजाबाद और गुंटूर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर तथा अमरावती तीसरे स्थान पर रहे। कलिंग नगर ने श्रेणी 3 (<3 लाख आबादी) का नेतृत्व किया, उसके बाद अंगुल और तालचर का स्थान रहा। • **निचले पायदान के शहर:** चेन्नई, जमशेदपुर, कोटा, कोलकाता और मदुरै श्रेणी 1 में सबसे निचले स्थान पर रहे, जबकि दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख महानगरों ने क्रमशः 30वां और 37वां स्थान हासिल किया। • **मूल्यांकन पैरामीटर:** शहरों का मूल्यांकन कचरा प्रबंधन, सड़क की धूल पर नियंत्रण, निर्माण और तोड़फोड़ (C&D) की धूल का प्रबंधन, वाहन उत्सर्जन नियंत्रण, और औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण सहित प्रमुख क्षेत्रों में किया गया था। • **परिवेशी वायु गुणवत्ता अंतराल (Ambient Air Quality Gap):** शीर्ष स्थान हासिल करने के बावजूद, लखनऊ ने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (NCAP) के तहत निर्धारित PM10 के लिए 60 microgram/m³ का राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक अभी तक हासिल नहीं किया है। • **जमीनी स्तर पर मान्यता:** पहली बार, परिवेशी वायु गुणवत्ता में ध्यान देने योग्य सुधार प्रदर्शित करने वाले नगर निगम वार्डों को शहर-स्तरीय मान्यताओं के साथ अलग से पुरस्कृत किया गया।

आवश्यक परिभाषाएं

• **स्वच्छ वायु सर्वेक्षण:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा एक वार्षिक मूल्यांकन पहल जो NCAP के तहत स्वच्छ हवा कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर शहरों की रैंकिंग करती है। • **PM10:** 10 माइक्रोमीटर या उससे कम के वायुगतिकीय व्यास वाले कण (Particulate Matter), जो मानव श्वसन पथ में गहराई तक प्रवेश करने में सक्षम हैं। • **प्राण पोर्टल (PRANA Portal):** Portal for Regulation of Air-Pollution in Non-Attainment cities: NCAP के तहत भौतिक और वित्तीय कार्यान्वयन को ट्रैक करने वाला एक डिजिटल डैशबोर्ड।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981:** यह ढांचा केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (CPCB/SPCB) को वायु गुणवत्ता मानकों को लागू करने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अधिकृत करता है।
- **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) अधिनियम, 2010:** पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय स्वच्छ हवा जनादेशों के अनुपालन के लिए वैधानिक न्यायिक उपचार लागू करता है।
- **अनुच्छेद 48A एवं 51A(g):** संवैधानिक जनादेश जो राज्य और नागरिकों को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का निर्देश देते हैं।

निष्कर्ष

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए शहरी स्थानीय निकायों के बीच प्रतिस्पर्धी संघवाद (Competitive Federalism) को बढ़ावा देता है। शहरी केंद्रों में निर्धारित PM10 सीमाओं को प्राप्त करने के लिए यंत्रीकृत सड़क सफाई का विस्तार करने, ई-वाहन (EV) अपनाने में तेजी लाने और निर्माण धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **GS Paper III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी):** पर्यावरणीय प्रदूषण, राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (NCAP), CPCB ढांचा, और वायु गुणवत्ता मानक।
- **GS Paper II (शासन):** शहरी स्थानीय निकाय शासन, प्रतिस्पर्धी संघवाद, प्रदर्शन से जुड़े वित्तीय प्रोत्साहन, और अंतर-मंत्रालयी समन्वय।

4. महामारी की तैयारी के लिए मौसमी इन्फ्लूएंजा के प्रकोप से सबक

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **महामारी के अंतर-काल की तैयारी (Inter-Pandemic Preparedness):** भारतीय राज्यों में हाल ही में मौसमी इन्फ्लूएंजा में वृद्धि (2 से 10 गुना अधिक मामले) भविष्य के वैश्विक स्वास्थ्य संकटों से पहले महामारी प्रबंधन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण परिचालन परीक्षणों के रूप में कार्य करती है।
- **प्रकोप प्रबंधन के तीन स्तंभ:** प्रभावी महामारी प्रतिक्रिया तीन मौलिक स्तंभों पर टिकी है: निगरानी (प्रारंभिक पता लगाना और जीनोमिक ट्रैकिंग), रोकथाम (लक्षित परामर्श और टीकाकरण), और नियंत्रण (पर्याप्त चिकित्सा बुनियादी ढांचा और त्वरित एंटीवायरल प्रशासन)।
- **निगरानी से कार्रवाई तक की बाधाएं:** वर्तमान स्वास्थ्य संरचना प्रयोगशाला निगरानी निकायों (ICMR), बीमारी प्रतिक्रिया समन्वय केंद्रों (NCDC), और राज्य स्वास्थ्य सेवा निष्पादन प्रणालियों के बीच अलगाव का अनुभव करती है, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं में देरी होती है।
- **एकीकृत कमान संरचना का आह्वान:** स्वास्थ्य विशेषज्ञ वास्तविक समय के रोग संबंधी रुझानों का समन्वय करने और आपातकालीन प्रतिक्रियाओं को निर्देशित करने के लिए वैधानिक अधिकार से लैस एक एकीकृत, अंतर-एजेंसी कमान संरचना स्थापित करने की वकालत करते हैं।
- **टीके और एंटीवायरल की कम खपत:** वहनशीलता के मुद्दों और कथित खतरे की कमी के कारण उच्च जोखिम वाले जनसांख्यिकी समूहों में भी इन्फ्लूएंजा टीकाकरण का दायरा कम बना हुआ है, जबकि अस्पतालों में प्रारंभिक एंटीवायरल प्रशासन दर 10% से कम है।
- **सार्वजनिक डैशबोर्ड और जोखिम संचार:** परिवेशी वायु गुणवत्ता ट्रैकिंग के समान एक पारदर्शी, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध बीमारी डैशबोर्ड स्थापित करने से

• AIR QUALITY: TOP-RANKING CITIES

	Category	City	Cash award (in Rs)
Category 1 (Million-plus population)	1st	Lucknow	1.50 crore
	2nd	Indore	1 crore
	3rd	Jabalpur	50 lakh
Category 2 (3-10 lakh population)	1st	Rourkela	75 lakh
	2nd	Firozabad and Guntur	50 lakh
	3rd	Amravati	25 lakh
Category 3 (less than 3 lakh population)	1st	Kalinga Nagar	37.5 lakh
	2nd	Angul	25 lakh
	3rd	Talcher	12.5 lakh

सार्वजनिक सलाह को संतुलित करने, स्वास्थ्य संचार का प्रबंधन करने और अनावश्यक घबराहट को रोकने में मदद मिलती है।

आवश्यक परिभाषाएं

• **SARI (Severe Acute Respiratory Infection):** एक तीव्र श्वसन संक्रमण जिसकी विशेषता बुखार (38 degree Celsius या अधिक) और साथ में खांसी है, जिसके लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। • **जीनोमिक निगरानी:** नए वेरिएंट का पता लगाने, वायरल संचरण गतिशीलता का मूल्यांकन करने और जनसंख्या की संवेदनशीलता को मापने के लिए लगातार रोगजनकों के जीन अनुक्रमों की निगरानी करना। • **महामारी का अंतर-काल:** पुनरावर्ती वैश्विक महामारी के बीच का अंतराल, जो स्वास्थ्य अधिकारियों को निगरानी उपकरणों को परिष्कृत करने और प्रतिक्रिया क्षमताओं का मूल्यांकन करने का रणनीतिक अवसर देता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

• **महामारी रोग अधिनियम, 1897:** संक्रामक रोग के प्रकोप के दौरान विशेष नियम जारी करने, संगरोध (Quarantine) उपायों और आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करता है। • **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005:** बहु-क्षेत्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए उपयोग किया जाने वाला वैधानिक ढांचा, जो केंद्र और राज्य अधिकारियों को संसाधनों को जुटाने और स्वास्थ्य आपदाओं के दौरान एकीकृत कमान प्रोटोकॉल लागू करने की अनुमति देता है। • **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47:** राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का हिस्सा, जो पोषण के स्तर को बढ़ाने, जीवन स्तर में सुधार करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य निर्धारित करता है।

निष्कर्ष

बार-बार होने वाले इन्फ्लूएंजा के प्रकोप को भविष्य की महामारी के पूर्वाभ्यास (Dry Runs) के रूप में लेना सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन में संरचनात्मक कमियों को ठीक करने का अवसर देता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए प्रतिक्रियाशील प्रशासनिक सलाहों के बजाय पारदर्शी बीमारी डेटा द्वारा समर्थित एक एकीकृत कमान संरचना की ओर बढ़ना आवश्यक है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

• **GS Paper II (शासन एवं सामाजिक न्याय):** स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे, ICMR और NCDC की संस्थागत भूमिकाएं, और सार्वजनिक आपातकालीन शासन। • **GS Paper III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा आपदा प्रबंधन):** रोग निगरानी तंत्र, जैविक आपदा प्रबंधन, महामारी की तैयारी, और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना प्रतिक्रिया प्रणाली।

5. ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में चीन की प्रगति और तकनीकी निहितार्थ

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

• **वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस मंच:** चीन ने 11वें वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की, जिसमें 300 से अधिक कंपनियों ने 3,000 से अधिक उत्पादों का प्रदर्शन किया। इनमें से लगभग 80% से 90% प्रदर्शक चीन की घरेलू कंपनियों से थे। • **तीव्र औद्योगिक बदलाव:** चीन ने आक्रामक राज्य सब्सिडी, नीतिगत समर्थन और आपूर्ति श्रृंखला के स्वदेशीकरण के माध्यम से जापान जैसे पारंपरिक वैश्विक अग्रणियों को विस्थापित करते हुए खुद को रोबोटिक्स विकास के प्राथमिक केंद्र के रूप में तेजी से स्थापित किया है। • **भू-राजनीतिक प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा:** चीनी कंपनियों द्वारा भौतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और रोबोटिक्स के तीव्र विस्तार ने पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता से जुड़ी चिंताओं को उत्पन्न कर दिया है। • **हार्डवेयर बनाम इंटेलिजेंस का पिछड़ापन:** हालांकि हार्डवेयर की यांत्रिक क्षमताएं—जैसे तेज दौड़ने की गति और समन्वित युद्धाभ्यास—तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन व्यावसायिक व्यावहारिकता अभी भी AI सॉफ्टवेयर और निर्णय लेने वाली इंटेलिजेंस परत पर मौजूद बाधाओं के कारण सीमित है। • **जनसांख्यिकीय संतुलन रणनीति:** चीन की तेजी से बुजुर्ग होती और घटती घरेलू कार्यबल के कारण उत्पन्न श्रम आपूर्ति झटकों की भरपाई के लिए AI के भौतिक रूपों और एम्बॉर्डीड (मूर्त) रोबोटिक्स को प्राथमिकता दी जा रही है। • **तकनीकी नवाचार में फ्लाइंक्ली प्रभाव:** शुरुआती पूंजी का आगमन, सरकारी समर्थन और सार्वजनिक प्रदर्शन प्रतिभाओं के संचयन और हार्डवेयर आपूर्ति श्रृंखला में क्रमिक सुधारों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धी लाभ बन रहे हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

• **एम्बॉर्डीड AI (Embodied AI):** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का एक दृष्टिकोण जहां एक AI एजेंट रोबोटिक बॉडी के माध्यम से भौतिक दुनिया के साथ सीधे संवाद करता है, जो वास्तविक दुनिया के कार्यों को निष्पादित करने के लिए वास्तविक समय के भौतिक सेंसर डेटा को संसाधित करता है। • **आपूर्ति श्रृंखला स्वदेशीकरण (Supply Chain Indigenization):** संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए आयातित विदेशी तकनीकी घटकों और कच्चे माल को घरेलू विनिर्माण क्षमताओं से बदलने की रणनीतिक औद्योगिक प्रक्रिया। • **इंटेलिजेंस लेयर बॉटलनेक (Intelligence Layer Bottleneck):** वह परिचालन अंतर जहां भौतिक रोबोटिक हार्डवेयर, असंरचित वास्तविक दुनिया के प्रशिक्षण डेटा को संसाधित करने और स्वायत्त निर्णय लेने की AI सॉफ्टवेयर की क्षमता से आगे निकल जाता है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

• **AI के लिए राष्ट्रीय रणनीति (भारत):** नीति आयोग का नीतिगत ढांचा जो प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालन (ऑटोमेशन) के नैतिक विकास, अपनाने और विस्तार का मार्गदर्शन करता है। • **ड्राफ्ट नेशनल रोबोटिक्स स्ट्रैटेजी:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा भारत को एक वैश्विक रोबोटिक्स हब के रूप में स्थापित करने, घरेलू R&D, नवाचार क्लस्टर और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई नीति। • **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(h):** राष्ट्रीय तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना विकसित करने का निर्देश देता है।

निष्कर्ष

ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में सरकारी समर्थन और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं का चीन द्वारा आक्रामक एकीकरण एम्बॉर्डीड AI के रणनीतिक मूल्य को दर्शाता है। भौतिक हार्डवेयर क्षमताओं और सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस के बीच के अंतर को पाटना उन राष्ट्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा जो जनसांख्यिकीय गिरावट को कम करना चाहते हैं और भविष्य के तकनीकी क्षेत्रों का नेतृत्व करना चाहते हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता

• **GS Paper III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अर्थव्यवस्था):** AI, रोबोटिक्स, औद्योगिक स्वचालन, प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण का विकास व अनुप्रयोग, और श्रम बाजारों पर स्वचालन का प्रभाव। • **GS Paper II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** वैश्विक प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाएं, रणनीतिक तकनीकी प्रतिस्पर्धा, उभरती प्रौद्योगिकियों का वैश्विक शासन, और राष्ट्रीय औद्योगिक नीतियां।

6. टैरिफ युद्ध और वैश्विक व्यापार की नाजुकता: लक्ज़मबर्ग के उप-प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

• **टैरिफ युद्धों की नुकसानदायक गतिशीलता (Lose-Lose Dynamics):** लक्ज़मबर्ग के उप-प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल ने इस बात पर जोर दिया कि व्यापार और टैरिफ युद्ध दोनों पक्षों के लिए नुकसानदायक स्थिति पैदा करते हैं, जो रणनीतिक आर्थिक लाभ देने के बजाय मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए लागत को कृत्रिम रूप से बढ़ाते हैं। • **भारत-ईयू एफटीए ढांचे का विस्तार:** लंबित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को बाजार की सूचनाओं के अंतर को पाटने तथा फिनटेक, AI और अंतरिक्ष लॉजिस्टिक्स में द्विपक्षीय निवेश को अनलॉक करने के लिए आवश्यक एक अनिवार्य संस्थागत ढांचे के रूप में रेखांकित किया। • **भारत की संतुलित रणनीतिक स्वायत्तता:** चल रहे रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान मास्को और कीव दोनों के साथ खुले संचार चैनलों को बनाए रखने में भारत के सक्रिय कूटनीति की सराहना की, जो शांति के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पुल के रूप में कार्य कर रहा है। • **रचनात्मक विदेशी ऊर्जा आपूर्ति:** ध्यान दिलाया कि वैश्विक ऊर्जा व्यापार निर्णयों में बाजार की उपलब्धता और विकल्पों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, और इस बात पर जोर दिया कि व्यवहार्य विकल्पों के बिना ऊर्जा व्यापार को प्रतिबंधित करने से आर्थिक भेद्यता बढ़ती है। • **लोकलुभावनवाद पर विनियमित प्रवासन:** संरचित शासन के विपरीत, सुरक्षा और आर्थिक जरूरतों को संतुलित करने के लिए पश्चिमी देशों में व्यक्तिपरक लोक-लुभावन बयानबाजी के बजाय वस्तुनिष्ठ, सु-विनियमित आव्रजन ढांचे का आह्वान किया। • **भारत-लक्ज़मबर्ग संबंधों को मजबूती:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल वित्त, उपग्रह संचार और उच्च शिक्षा सहित अग्रणी क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग के विस्तार को रेखांकित किया।

आवश्यक परिभाषाएं

• **टैरिफ वॉर (Tariff War):** एक आर्थिक संघर्ष जहां राष्ट्र एक-दूसरे के सामानों पर बढ़ते आयात शुल्क या व्यापार बाधाएं लगाते हैं, जिससे प्रतिशोधात्मक संरक्षणवादी उपाय शुरू होते हैं। • **मुक्त व्यापार समझौता (FTA):** निर्बाध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए टैरिफ, कोटा और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम या समाप्त करने के लिए दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच एक समझौता। • **रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy):** एक विदेश नीति सिद्धांत जहां एक संप्रभु राज्य किसी भी प्रमुख वैश्विक शक्ति गुट के साथ बिना शर्त जुड़े बिना स्वतंत्र रूप से अपने राष्ट्रीय हितों का पीछा करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

• **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने तथा मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करने का निर्देश

देता है। • **विश्व व्यापार संगठन (WTO) मराकेश समझौता:** बहुपक्षीय व्यापार नियमों के लिए वैश्विक कानूनी आधार प्रदान करता है, जो टैरिफ को विनियमित करता है और मनमाने संरक्षणवादी उपायों को रोकता है। • **विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992:** भारत के विदेश व्यापार परिचालन को विनियमित करता है, जो केंद्र सरकार को व्यापार नीतियों और टैरिफ संरचनाओं को तैयार करने का अधिकार देता है।

निष्कर्ष

भारत-ईयू एफटीए जैसे संस्थागत तंत्रों के माध्यम से संरक्षणवाद से निपटना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लचीलेपन को मजबूत करता है। रणनीतिक स्वायत्तता और विनियमित आर्थिक जुड़ाव के प्रति भारत की कूटनीतिक प्रतिबद्धता वैश्विक आर्थिक स्थिरता और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संतुलित रोडमैप प्रदान करती है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

• **GS Paper II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** भारत-ईयू द्विपक्षीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कूटनीति, रणनीतिक स्वायत्तता, वैश्विक शासन, और बहुपक्षीय ढांचे। • **GS Paper III (भारतीय अर्थव्यवस्था):** घरेलू मुद्रास्फीति पर वैश्विक टैरिफ का प्रभाव, आपूर्ति श्रृंखला की भेद्यता, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), और मुक्त व्यापार समझौते।

7. इसरो ने EOS-05 उपग्रह को दीर्घवृत्ताकार भू-तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

• **पहला भू-तुल्यकालिक इमेजिंग उपग्रह:** इसरो ने श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 के जरिए EOS-05 को लॉन्च किया, जिससे यह क्षेत्र पर निरंतर निगरानी बनाए रखने के लिए भू-तुल्यकालिक कक्षा (Geosynchronous Orbit) में तैनात भारत का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह बन गया। • **कक्षा चयन और गतिशीलता:** वैज्ञानिकों ने एक गोलाकार भू-स्थैतिक कक्षा (GEO) के बजाय थोड़े दीर्घवृत्ताकार भू-तुल्यकालिक कक्षा (GSO) को चुना, जिसमें इसकी कक्षीय स्थिति को बढ़ाने और स्थिर करने के लिए प्रगतिशील लिक्विड अपोजी मोटर (LAM) बर्न युद्धाभ्यास का उपयोग किया गया। • **भारी पेलोड उपलब्धि:** 2,367 kg वजनी EOS-05 एक मानक तीन-स्तरीय GSLV कॉन्फ़िगरेशन द्वारा उप-भू-तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया सबसे भारी पेलोड है। • **सतत वास्तविक समय निगरानी:** लगभग 36,000 km की ऊंचाई पर स्थित, EOS-05 पृथ्वी की घूर्णन गति से मेल खाता है, जो निरंतर मौसम निगरानी, बादल फटने की ट्रैकिंग और पर्यावरणीय खतरों के मूल्यांकन के लिए "आकाश में आंख" (Eye in the Sky) के रूप में कार्य करता है। • **रणनीतिक रक्षा अनुप्रयोग:** मौसम संबंधी उपयोगिता के अलावा, यह मिशन भारतीय नौसेना के लिए समुद्री स्थितिजन्य निगरानी सहित रणनीतिक उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च-आवृत्ति इमेजरी और महत्वपूर्ण डोमेन जागरूकता प्रदान करता है। • **प्रक्षेपण की गति की बहाली:** सफल GSLV-F17 का प्रक्षेपण भारत के क्रायोजेनिक अपर स्टेज की विश्वसनीयता को प्रमाणित करता है और पिछले Gisat/EOS-03 मिशन के झटकों के बाद एक प्रमुख तकनीकी वापसी का प्रतीक है।

आवश्यक परिभाषाएं

• **भू-तुल्यकालिक कक्षा (Geosynchronous Orbit - GSO):** एक पृथ्वी-केंद्रित कक्षा जिसकी कक्षीय अवधि अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन (23 घंटे, 56 मिनट, 4 सेकंड) से मेल खाती है, जो एक उपग्रह को पृथ्वी के समय के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम बनाती है। • **भू-स्थैतिक कक्षा (Geostationary Orbit - GEO):** शून्य झुकाव के साथ सीधे भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित GSO का एक विशेष गोलाकार उपसमुच्चय, जिसके कारण उपग्रह आकाश में एक ही बिंदु पर स्थायी रूप से स्थिर दिखाई देता है। • **लिक्विड अपोजी मोटर (Liquid Apogee Motor - LAM):** प्रक्षेपण यान से अलग होने के बाद सटीक कक्षा-बढ़ाने के युद्धाभ्यास को करने के लिए अंतरिक्ष यान पर लगा एक रासायनिक प्रणोदन इंजन।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

• **भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023:** इसरो को वाणिज्यिक अनुप्रयोगों को सक्षम बनाते हुए उन्नत तकनीकी अनुसंधान, रणनीतिक अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे और गहरे अंतरिक्ष मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने का जनादेश देती है। • **भारतीय संविधान का अनुच्छेद**

51A(h): प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में

वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। •

बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967): अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों को नियंत्रित करती है, यह सुनिश्चित करती है कि अंतरिक्ष अन्वेषण शांतिपूर्ण, गैर-भेदभावपूर्ण और राष्ट्रीय विकास के लिए फायदेमंद रहे।

निष्कर्ष

EOS-05 को भू-तुल्यकालिक कक्षा में तैनात करना भारत के रिमोट-सेंसिंग आर्किटेक्चर को आवधिक निचले पृथ्वी कक्षा (LEO) के सैपशॉट से वास्तविक समय, निरंतर क्षेत्रीय अवलोकन में उन्नत करता है। आपदा प्रतिक्रिया तंत्र के साथ रणनीतिक रक्षा इनपुट को जोड़ना संप्रभु अंतरिक्ष-आधारित डोमेन जागरूकता और तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

• **GS Paper III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा सुरक्षा):** अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, GSLV प्रक्षेपण आर्किटेक्चर, पृथ्वी अवलोकन क्षमताएं, आपदा प्रतिक्रिया अनुप्रयोग, और समुद्री सुरक्षा डेटा एकीकरण। • **GS Paper I (भूगोल):** उपग्रह कक्षाएं (LEO, GSO, GEO में अंतर), स्थानिक निगरानी, मौसम के पैटर्न की ट्रैकिंग, और भौतिक रिमोट सेंसिंग।

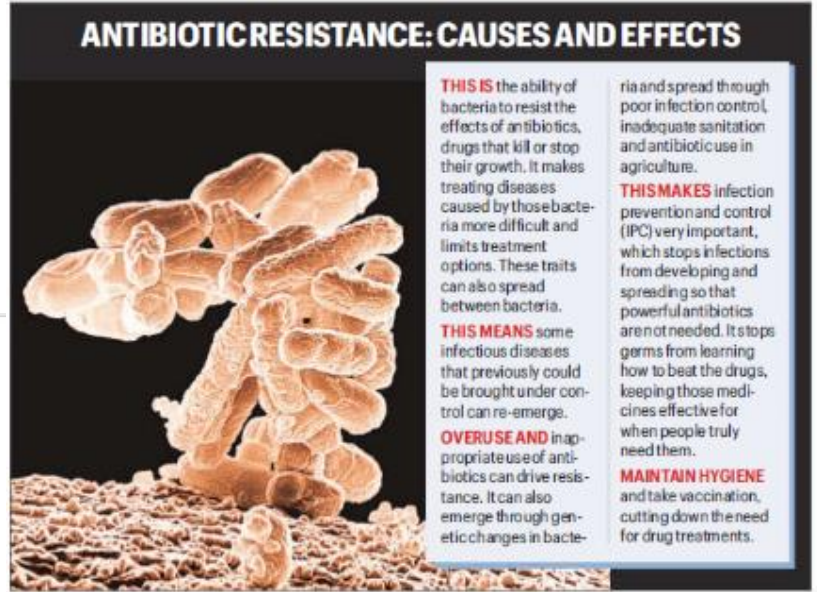
7A. एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी संक्रमण: जोखिम, लागत और नैदानिक अनिवार्यताएं

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

• **व्यापक ICMR अध्ययन:** 20 तृतीयक-देखभाल (tertiary-care) अस्पतालों के 159,336 रोगियों का विश्लेषण करने वाले भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के अध्ययन से पता चला है कि एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी जीवाणु संक्रमण के कारण मृत्यु दर काफी अधिक होती है और इलाज का खर्च बहुत अधिक बढ़ जाता है। • **कार्बापेनम प्रतिरोध में वृद्धि:** अध्ययन किए गए लगभग 61.1% रोगियों में कार्बापेनम (Carbapenems) के प्रति प्रतिरोधी संक्रमण



पाए गए—जो गंभीर दवा-प्रतिरोधी जीवाणु उपभेदों के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली शक्तिशाली, व्यापक-स्पेक्ट्रम रिजर्व एंटीबायोटिक दवाओं का एक वर्ग है। • **उच्च मृत्यु दर के आंकड़े:** कार्बापेनम प्रतिरोध ने मृत्यु के जोखिम को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दिया: ई. कोलाई (E. coli) मृत्यु दर बढ़कर 24.4% हो गई (संवेदनशील मामलों में 17.3% के मुकाबले), के. न्यूमोनिया (K. pneumoniae) बढ़कर 31.2% (23.5% के मुकाबले), ए. बॉमनी (A. baumannii) बढ़कर 37.9% (32.8% के मुकाबले), और पी. एरुगिनोसा (P. aeruginosa) बढ़कर 28.9% (20.2% के मुकाबले) हो गई। • **स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ा संचरण:** चार लक्षित जीवाणुओं के सभी रक्तप्रवाह संक्रमणों में से 85% से अधिक को स्वास्थ्य सेवा-संबंधित संक्रमण (HAIs) के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो अस्पताल की स्वच्छता, उपकरण प्रबंधन और स्वच्छता में कमियों को उजागर करता है। • **वित्तीय बोझ में बढ़ोतरी:** प्रतिरोधी जीवाणु उपभेदों ने प्रत्यक्ष दवा लागत में काफी वृद्धि की; उदाहरण के लिए, प्रतिरोधी ई. कोलाई के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी की लागत ₹39,846 तक पहुंच गई, जबकि संवेदनशील उपभेदों के लिए यह केवल ₹20,034 थी। • **एकीकृत प्रतिक्रिया तंत्र:** सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ केवल एंटीबायोटिक प्रबंधन से आगे बढ़कर मजबूत संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण (IPC), तीव्र नैदानिक पहचान और एकीकृत नैदानिक-निगरानी प्रणालियों की वकालत करते हैं।



आवश्यक परिभाषाएं

• **रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance - AMR):** वह तंत्र जिसके माध्यम से बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्मजीव खुद को खत्म करने के लिए बनाई गई दवाओं का मुकाबला करने के लिए विकसित होते हैं, जिससे मानक नैदानिक उपचार अप्रभावी हो जाते हैं। • **कार्बापेनम (Carbapenems):** व्यापक-स्पेक्ट्रम, अंतिम-विकल्प (last-resort) बीटा-लेक्टैम एंटीबायोटिक दवाओं का एक महत्वपूर्ण वर्ग, जो जटिल या बहु-दवा प्रतिरोधी जीवाणु संक्रमणों के प्रबंधन के लिए सुरक्षित रखा जाता है। • **स्वास्थ्य सेवा-संबंधित संक्रमण (HAIs):** स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के भीतर चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के दौरान रोगियों द्वारा प्राप्त किए गए अस्पताल-जनित संक्रमण (Nosocomial infections), जो भर्ती के समय मौजूद नहीं थे।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

• **AMR पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP-AMR):** मानव स्वास्थ्य, पशुपालन, कृषि और पर्यावरण में AMR का मुकाबला करने के लिए 'वन हेल्थ' (One Health) दृष्टिकोण पर आधारित भारत का रणनीतिक नीतिगत ढांचा। • **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 (अनुसूची H1):** पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के नुस्खे (Prescription) के बिना तेज एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर-द-काउंटर (बिना पर्ची के) बिक्री को प्रतिबंधित करने वाला नियामक प्रावधान। • **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47:** राज्य को लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानने का निर्देश देता है, जो स्वास्थ्य संबंधी खतरों के खिलाफ वैधानिक हस्तक्षेपों का आधार है।

निष्कर्ष

एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बढ़ते बोझ से निपटने के लिए समझदारी से दवा के नुस्खे के साथ-साथ अस्पताल के संक्रमण नियंत्रण, स्वच्छता प्रोटोकॉल और लक्षित नैदानिक उपकरणों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। नैदानिक स्वास्थ्य

परिणामों की रक्षा करने और बढ़ती चिकित्सा लागत को कम करने के लिए एकीकृत 'वन हेल्थ' निगरानी के माध्यम से अंतिम-विकल्प कार्बापेनम की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

• **GS Paper III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा स्वास्थ्य):** रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR), जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, सुपरबग, वन हेल्थ फ्रेमवर्क, और फार्मास्युटिकल विनियमन। • **GS Paper II (शासन एवं सामाजिक न्याय):** सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा प्रबंधन, NAP-AMR का कार्यान्वयन, और अनुसूची H1 के तहत नियामक प्रवर्तन।

8. शीर्ष सिख धार्मिक संस्था ने 15 वर्षों से चुनाव क्यों नहीं कराए हैं

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

• **15 साल का चुनावी अंतराल:** प्रमुख ऐतिहासिक गुरुद्वारों का प्रबंधन करने वाली भारत की सबसे बड़ी निर्वाचित धार्मिक संस्था, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने 2011 के बाद से कोई आम चुनाव आयोजित नहीं किया है। • **मुकदमेबाजी और अयोग्यता:** सिखों के बाल कटवाने या दाढ़ी काटने (केस कल्ल) वाले मताधिकार को लेकर एक बड़े अदालती विवाद ने 2011 के निर्वाचित सदन के कार्यकाल में देरी की, जब तक कि 2016 के एक वैधानिक संशोधन ने उन्हें औपचारिक रूप से मतदाता होने से अयोग्य नहीं घोषित कर दिया। • **धारा 51 के माध्यम से निरंतरता:** सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 की धारा 51 के तहत, एक मौजूदा बोर्ड "एक नए बोर्ड के गठन तक" कार्य करना जारी रखता है, जिससे 2011 का सदन अपने साधारण पांच साल के कार्यकाल के बाद भी पद पर बना रहा। • **मतदाता सूची पुनरीक्षण पर उच्च न्यायालय का स्टे:** बलदेव सिंह मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक स्थगन (Stay) के कारण नए आम चुनाव रुके हुए हैं, जिसने गुरुद्वारा चुनाव आयोग को नई मतदाता सूची को अंतिम रूप देने से रोक दिया है। • **क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का पुनर्गठन:** हरियाणा द्वारा 2014 में स्वतंत्र 'हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी' बनाने के बाद मतदाताओं का क्षेत्रीय दायरा बदल गया है, जिससे राज्य में SGPC की सीटें समाप्त हो गईं। • **रिक्तियां और उपचुनाव की मांग:** मौतों और इस्तीफों के कारण वर्तमान में 34 सीटें खाली होने के साथ, स्वतंत्र कार्यकर्ताओं ने धारा 53 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आम चुनाव की मंजूरी का इंतजार करने के बजाय मौजूदा मतदाता सूचियों का उपयोग करके उपचुनाव कराने की मांग की है।

आवश्यक परिभाषाएं

• **शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC):** सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के तहत गठित एक वैधानिक संस्था, जो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में गुरुद्वारों, संपत्तियों और धार्मिक मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। • **मुख्य आयुक्त, गुरुद्वारा चुनाव:** SGPC के लिए मतदाता सूची तैयार करने, नामांकन और मतदान की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त वैधानिक प्राधिकरण। • **पदेन सदस्य (Ex-Officio Members):** SGPC के स्थायी गैर-निर्वाचित सदस्य, जिनमें पांच तख्त साहिबान के जत्थेदार और श्री हरिमंदिर साहिब के मुख्य ग्रंथी शामिल हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

• **सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925:** SGPC के नियामक ढांचे, संरचना (30 आरक्षित महिला सीटों सहित कुल 185 सदस्य) और परिचालन निरंतरता को स्थापित करने वाला केंद्रीय कानून। • **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26:** धार्मिक संप्रदायों को धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने, संस्थाएं स्थापित करने और संपत्ति का

मालिक होने/अधिग्रहण करने के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। • **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25:** सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है।

निष्कर्ष

SGPC चुनावों में 15 साल की देरी न्यायिक मुकदमेबाजी, वैधानिक निरंतरता के प्रावधानों और धार्मिक स्व-शासन के भीतर लोकतांत्रिक जवाबदेही के बीच संरचनात्मक संघर्षों को उजागर करती है। चुनावी रोल स्टे को हल करना या धारा 53 के तहत वैधानिक उपचुनाव कराना "सिखों की मिनी-संसद" में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

• **GS Paper II (राज्यव्यवस्था व शासन):** वैधानिक धार्मिक निकायों का प्रशासन, अनुच्छेद 25 और 26 के तहत राज्य के नियमन और धर्म की स्वतंत्रता के बीच तनाव, चुनावी प्रक्रियाओं में न्यायिक हस्तक्षेप, और वैधानिक निरंतरता तंत्र। •

GS Paper I (भारतीय समाज व इतिहास): गुरुद्वारा सुधार आंदोलन का इतिहास, सिख शासन का संस्थागत विकास, और उत्तर-औपनिवेशिक भारत में सामाजिक-धार्मिक सुधार।

9. नामे डोगरा आखर का पुनरुत्थान: जम्मू में डोगरी लिपि का पुनर्जागरण

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

• **नागरिक लिपि का पुनरुत्थान:** जम्मू में नगर निगम अधिकारियों ने सार्वजनिक दृश्यता को बहाल करने के लिए देवनागरी (हिंदी) और रोमन (अंग्रेजी) के साथ-साथ "नामे डोगरा आखर"—जो कि डोगरी भाषा की पारंपरिक लिपि है—में क्षेत्रों के नामों को प्रदर्शित करने वाले सार्वजनिक साइनबोर्ड लगाए हैं। • **भाषाई उत्पत्ति:** डोगरी, भारत-यूरोपीय भाषा परिवार की भारत-आर्य शाखा के भीतर पश्चिमी पहाड़ी समूह से संबंधित है, जो मुख्य रूप से जम्मू क्षेत्र, पंजाब के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बोली जाती है। • **डोगरा शासकों के तहत विकास:** महाराजा रणबीर सिंह (1856-1885) के तहत प्रशासनिक सटीकता को सक्षम करने के लिए देवनागरी स्वरों को शामिल करके प्राचीन टाकरी लिपि से संशोधित की गई, इस लिपि को "नामे डोगरा आखर" (नई डोगरा लिपि) के रूप में जाना जाने लगा। • **ऐतिहासिक गिरावट:** लिपि ने अपना आधिकारिक संरक्षण तब खो दिया जब महाराजा प्रताप सिंह ने प्रशासनिक सरलता के लिए 1885 में फारसी को उर्दू से बदल दिया, और बाद के शासकों ने क्षेत्रीय मांगों को संतुलित करने के लिए देवनागरी और रोमन लिपियों को बढ़ावा दिया। • **देवनागरी की ओर बदलाव:** 1944 में, साहित्यिक संस्था 'डोगरी संस्था' ने पहुंच को व्यापक बनाने के लिए औपचारिक रूप से देवनागरी को अपनाया, जिसने भाषा की आधिकारिक मान्यता में मदद की, लेकिन इसकी मूल लिपि के व्यवस्थित अप्रचलन का कारण बना। • **जमीनी स्तर पर बहाली:** नागरिक समाज संगठनों और शैक्षणिक निकायों के नेतृत्व में आधुनिक पुनरुत्थान प्रयासों का उद्देश्य नामे डोगरा आखर को औपचारिक स्कूल पाठ्यक्रमों और डिजिटल स्थानों में एकीकृत करना है ताकि इसके पूर्ण विलुप्त होने को रोका जा सके।

आवश्यक परिभाषाएं

• **नामे डोगरा आखर (Namey Dogra Akhar):** डोगरी भाषा लिखने के लिए महाराजा रणबीर सिंह के शासनकाल में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित ऐतिहासिक टाकरी लिपि का एक संशोधित, मानकीकृत संस्करण। • **टाकरी**

लिपि (Takri Script): एक प्राचीन ब्राह्मी लिपि का प्रकार जिसका ऐतिहासिक रूप से प्रशासनिक, वाणिज्यिक और साहित्यिक रिकॉर्ड रखने के लिए पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में उपयोग किया जाता था। • **पश्चिमी पहाड़ी (Western Pahari):** निचले हिमालयी क्षेत्र में बोली जाने वाली उत्तरी भारत-आर्य भाषाओं का एक भाषाई उपसमूह, जिसमें डोगरी, कांगड़ी और संबंधित बोलियां शामिल हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

• **भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची:** डोगरी को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से एक आधिकारिक अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल किया गया था, जो संघ को इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए बाध्य करता है। • **जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा अधिनियम, 2020:** कश्मीरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी के साथ डोगरी को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता दी। • **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350A:** शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य और स्थानीय प्राधिकरण को निर्देशित करता है। • **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29(1):** विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति वाले नागरिकों को उसका संरक्षण और सुरक्षा करने के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।



निष्कर्ष

सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर नाम डोगरा आखर को फिर से पेश करना भाषा संरक्षण और लिपि संरक्षण के बीच ऐतिहासिक अंतर को पाटता है। दृश्य संकेतों के साथ-साथ औपचारिक शिक्षण और डिजिटल फ्रॉन्ट बुनियादी ढांचे को संस्थागत बनाना भावी पीढ़ियों के लिए इस स्वदेशी हिमालयी विरासत को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

• **GS Paper I (भारतीय कला और संस्कृति व इतिहास):** प्राचीन भारतीय लिपियों का विकास, भाषाई विविधता, हिमालयी विरासत, और डोगरा राजवंश के तहत क्षेत्रीय शासन का इतिहास। • **GS Paper II (राज्यव्यवस्था और शासन):** अनुच्छेद 29 और 350A के तहत अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय, आठवीं अनुसूची के प्रावधान, और केंद्र शासित प्रदेशों में भाषा नीतियां।

10. क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की शुरुआत के बाद सेबी ने डेरिवेटिव निपटान तंत्र का पुनर्मूल्यांकन किया

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

• **नियामक पुनर्मूल्यांकन:** भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) की शुरुआत के बाद बाजार की प्रतिक्रिया के कारण डेरिवेटिव निपटान पद्धति में बदलाव का प्रस्ताव कर रहा है। • **समय के बेमेल की बाधा:** CAS में ट्रेडिंग दोपहर 3:30 बजे समाप्त होती है जबकि डेरिवेटिव खंड अतिरिक्त 10 मिनट के लिए दोपहर 3:40 बजे तक विस्तारित होता है, जिससे एक प्रमुख संरचनात्मक समय का बेमेल बनता है जो मूल्य अनिश्चितता पैदा करता है। • **संस्थागत दूरी:** संस्थागत निवेशक—जो डेरिवेटिव टर्नओवर का 60-65% हिस्सा हैं—सीमित मूल्य स्पष्टता और समय के दबाव के कारण काफी हद तक CAS और विस्तारित डेरिवेटिव सत्रों दोनों से बाहर रहे हैं, जिससे कम

ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ है। • **बाजार की अतिरंजित अस्थिरता:** CAS में कम ट्रेडिंग वॉल्यूम ने छोटे ऑर्डर को बड़ी कीमत में उतार-चढ़ाव का कारण बनने की अनुमति दी है, जो सीधे CAS-निर्धारित अंतर्निहित स्टॉक कीमतों से जुड़े डेरिवेटिव निपटान कीमतों को प्रभावित करते हैं। • **बाजार टर्नओवर में गिरावट:** नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का कुल डेरिवेटिव टर्नओवर अगस्त में घटकर 34.48 लाख करोड़ रुपये रह गया—जो नवंबर 2023 के बाद का सबसे निचला स्तर है—जिसमें औसत दैनिक विकल्प (Options) टर्नओवर में महीने-दर-महीने 20% की गिरावट आई है। • **प्रस्तावित उद्योग समाधान:** बाजार भागीदार सेबी से आग्रह करते हैं कि हेजिंग की पूर्वसूचनीयता को बहाल करने के लिए एक्सपायरी के दिनों में डेरिवेटिव अनुबंध निपटान कीमतों को CAS कीमतों से अलग करते हुए डेरिवेटिव और CAS सत्रों के अंत-समय को संरेखित किया जाए।

आवश्यक परिभाषाएं

• **क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS):** बाजार के बंद होने पर एक समर्पित ट्रेडिंग विंडो जो निरंतर ट्रेडिंग के बजाय ऑर्डर-मैचिंग एल्गोरिदम के माध्यम से प्रतिभूतियों का अंतिम आधिकारिक समापन मूल्य निर्धारित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। • **डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट**

(Derivatives Contract): ऐसे वित्तीय साधन जिनका मूल्य एक अंतर्निहित परिसंपत्ति से प्राप्त होता है, जो

बाजार सहभागियों को जोखिम से बचाव (हेज), पूंजी की रक्षा करने या भविष्य के मूल्य आंदोलनों पर सट्टा लगाने में सक्षम बनाता है। • **हेजिंग (Hedging):** एक जोखिम प्रबंधन रणनीति जिसमें अंतर्निहित नकद बाजार परिसंपत्ति में प्रतिकूल मूल्य आंदोलनों के जोखिम को कम करने के लिए डेरिवेटिव बाजार में एक ऑफसेटिंग लेनदेन शामिल होता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

• **भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992:** धारा 11 के तहत सेबी को प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने, निवेशकों के हितों की रक्षा करने और परामर्श पत्रों और निर्देशों के माध्यम से सुचारू बाजार कामकाज सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। • **प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (SCRA):** अवांछनीय सट्टेबाजी को रोकने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों, प्रतिभूतियों में अनुबंधों और डेरिवेटिव ट्रेडिंग तंत्र के नियमन का निर्देश देता है। • **अनुच्छेद 273/प्रविष्टि 48 (सूची I, सातवीं अनुसूची):** भारत के संविधान के तहत संसद को स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजारों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार देता है।

निष्कर्ष

सत्र के समय को संरेखित करना और निपटान मूल्य तंत्र को परिष्कृत करना क्लोजिंग ऑक्शन सेशन द्वारा पेश किए गए संरचनात्मक घर्षण को संबोधित करेगा। सेबी द्वारा समय पर हस्तक्षेप से मूल्य खोज बहाल होगी, कृत्रिम रूप से उच्च अस्थिरता कम होगी, और भारत के पूंजी बाजारों में पर्याप्त तरलता सुनिश्चित होगी।

यूपीएससी प्रासंगिकता

• **GS Paper III (भारतीय अर्थव्यवस्था और पूंजी बाजार):** वित्तीय बाजार का बुनियादी ढांचा, बाजार नियामकों (सेबी) की भूमिका, डेरिवेटिव ट्रेडिंग तंत्र, जोखिम प्रबंधन, और पूंजी बाजार की स्थिरता। • **GS Paper II (शासन और नियामक निकाय):** संस्थागत कामकाज, नियामक पूर्वसूचनीयता, सेबी अधिनियम के तहत वैधानिक शक्तियां, और नीति परामर्श प्रक्रियाएं।

**SEBI
INTRODUCES
CLOSING
AUCTION SESSION
(CAS)
FROM AUGUST 3**



11. 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: विस्तारित समूह का मार्गदर्शन करने का भारत का जनादेश

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

• **18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी:** भारत नई दिल्ली में (12-13 सितंबर, 2026) 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जो इसकी अध्यक्षता के विषय "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता" (Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability) के तहत संस्थागत दिशा को बहाल करने के लिए एक रणनीतिक मंच प्रदान करता है। • **संस्थापक दृष्टिकोण से बदलाव:** वैश्विक वित्तीय संस्थानों के वास्तविक सुधार के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं (BRIC/BRICS) द्वारा मूल रूप से गठित, यह समूह पश्चिमी विरोधी संतुलन बनाने के चीनी प्रयासों से प्रेरित आंतरिक वैचारिक बदलावों का सामना कर रहा है। • **दबाव में सर्वसम्मति का सिद्धांत:** आम सहमति-आधारित निर्णय लेने का मौलिक नियम—जिसने मूल एकजुटता बनाए रखी थी—गैर-सर्वसम्मति वाले अध्यक्ष के बयानों और नए सदस्यों के बीच तीव्र द्विपक्षीय संघर्षों से परखा जा रहा है। • **विस्तार की गतिशीलता:** 11 पूर्ण सदस्यों (मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया सहित) का तेजी से विस्तार आंतरिक घर्षण को बढ़ा चुका है, जिससे सार्क (SAARC) के समान प्रशासनिक कामकाज के ठप होने का खतरा है। • **रणनीतिक "गैर-पश्चिमी" उन्मुखता:** भारत, ब्राजील जैसे सदस्यों के साथ मिलकर, ब्रिक्स को ग्लोबल साउथ की मध्यम शक्तियों के लिए एक "गैर-पश्चिमी" सुधारवादी आवाज के रूप में वकालत करता है, और इसे एक पश्चिमी विरोधी भू-राजनीतिक गुट में बदलने के प्रयासों का सक्रिय रूप से विरोध करता है। • **डी-डॉलराइजेशन और वित्तीय विकल्प:** सदस्य देश एकल रेन्मिन्बी-प्रभुत्व वाली मुद्रा के बजाय भुगतान प्रणालियों और सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं को आपस में जोड़ने को प्राथमिकता देते हैं, जो वैकल्पिक चीनी-प्रभुत्व वाले संस्थानों को बनाए बिना स्वतंत्रता चाहते हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

• सुधारित बहुपक्षवाद (Reformed Multilateralism):

समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र, आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे वैश्विक निकायों के पुनर्गठन के लिए भारत द्वारा समर्थित एक अंतर्राष्ट्रीय शासन दृष्टिकोण।

• **मध्यम शक्तियां (Middle Powers):** महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रभाव और आर्थिक वजन रखने वाले संप्रभु राज्य जो वैश्विक महाशक्ति प्रतिस्पर्धाओं को संतुलित करने के लिए कूटनीतिक गठबंधनों का उपयोग करते हैं।

• **सर्वसम्मति-आधारित निर्णय लेना (Consensus-Based Decision-Making):** एक मुख्य शासन नियम जहां किसी भी संयुक्त घोषणा या कार्रवाई को अपनाए जाने से पहले सभी सदस्य देशों को सहमत होना चाहिए या औपचारिक आपत्ति से बचना चाहिए।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

• **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने का जनादेश देता है। • **संयुक्त राष्ट्र चार्टर (अध्याय V, अनुच्छेद 108):** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार को नियंत्रित करने वाले वैधानिक संशोधन नियमों की रूपरेखा तैयार करता है, जो भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा समर्थित एक प्रमुख सुधार क्षेत्र है। • **अनुच्छेद**



समझौते (आईएमएफ और विश्व बैंक): वैश्विक वित्तीय संस्थानों में कोटा आवंटन, मतदान अधिकार और संरचनात्मक सुधारों को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधान।

निष्कर्ष

2026 का नई दिल्ली शिखर सम्मेलन भारत को ब्रिक्स के भीतर दिशा सुधार का नेतृत्व करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। सुधारित बहुपक्षवाद और जन-केंद्रित सहयोग के आसपास विस्तारित समूह को फिर से एंकरिंग करना चीनी प्रभुत्व को रोकता है जबकि ग्लोबल साउथ में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और नेतृत्व को मजबूत करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

• **GS Paper II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध और द्विपक्षीय समूह):** ब्रिक्स का विकास, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, वैश्विक शासन सुधार, ग्लोबल साउथ कूटनीति, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन। • **GS Paper III (भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार):** डी-डॉलराइजेशन, सीमा पार भुगतान एकीकरण, न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) शासन, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संरचनाएं।

12. भारत में निकोटीन पाउच को नियंत्रित करने वाला नियामक शून्य (Regulatory Vacuum)

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

• **उद्भव और वितरण:** ICMR-NICPR अध्ययन से पता चला है कि तंबाकू मुक्त निकोटीन पाउच डिजिटल प्लेटफॉर्म, हुक्का बार और क्लिक-कॉमर्स चैनलों के माध्यम से शहरी बाजारों तक पहुंचते हैं, जो नियामक कमियों का फायदा उठाते हैं। • **COTPA से छूट:** सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA) तंबाकू उत्पादों को नियंत्रित करता है, लेकिन इसकी वैधानिक परिभाषाएं गैर-तंबाकू निकोटीन निष्कर्षण या मौखिक (ओरल) पाउच को शामिल करने में विफल रहती हैं। • **ड्रग्स एक्ट के तहत अस्पष्टता:** जबकि निकोटीन गम और पैच (<2 mg) को औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची K के तहत चिकित्सीय धूम्रपान छोड़ने के लिए छूट दी गई है, गैर-चिकित्सीय उपभोक्ता पाउच स्पष्ट दवा वर्गीकरण से बाहर आते हैं। • **PECA की गैर-प्रयोज्यता:** इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 (PECA) विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक वापिंग उपकरणों को लक्षित करता है, जिससे गैर-इलेक्ट्रॉनिक मौखिक निकोटीन पाउच मौजूदा वेप प्रतिबंधों से अछूते रह जाते हैं। • **प्रतिबंधित आयात वर्गीकरण:** DGFT के ITC-HS कोड वर्गीकरण (2404 91 30) के तहत, मौखिक निकोटीन पाउच को "प्रतिबंधित" (restricted) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, न कि "प्रतिबंधित/निषिद्ध" (prohibited), जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ क्रॉस-संदर्भित विशिष्ट लाइसेंसिंग की आवश्यकता होती है। • **ड्यूटी-फ्री खुदरा चिंताएं:** हवाई अड्डे की ड्यूटी-फ्री दुकानों में बिक्री क्षेत्रीय सीमा शुल्क क्षेत्राधिकार के संबंध में फ्लेमिंगो ड्यूटी फ्री (2024) जैसे न्यायिक मिसालों पर निर्भर करती है, जो प्रत्यक्ष वैधानिक आयात प्रतिबंधों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

आवश्यक परिभाषाएं

• **निकोटीन पाउच (Nicotine Pouch):** एक छोटा, तंबाकू-मुक्त, पहले से विभाजित पाउच जिसमें निकोटीन, स्वाद और पौधे आधारित फाइबर होते हैं, जिन्हें बिना दहन या धुएं के सबलिंगुअल या मौखिक अवशोषण के लिए डिज़ाइन किया गया है। • **ITC-HS वर्गीकरण:** कोडिंग की सुव्यवस्थित प्रणाली पर आधारित भारतीय व्यापार वर्गीकरण, जिसे विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा आयातित वस्तुओं को मुक्त, प्रतिबंधित या निषिद्ध के रूप में वर्गीकृत करने के लिए प्रशासित किया जाता है। • **चिकित्सीय दावा (Therapeutic Claim):** एक औपचारिक उत्पाद पदनाम जो औषधीय या स्वास्थ्य-पुनर्स्थापनात्मक उपयोगिता का दावा करता है, जैसे लत के इलाज के लिए निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी (NRT)।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

• **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47:** राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों को बढ़ाने और मादक पेय पदार्थों व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध लागू करने का जनादेश देता है। • **सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11:** सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानव सुरक्षा की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को विशिष्ट वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित या सीमाबद्ध करने का अधिकार देती है। • **विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992:** राष्ट्रीय हित में व्यापार आयात और निर्यात को विनियमित, लाइसेंस या प्रतिबंधित करने का वैधानिक अधिकार प्रदान करता है।



निष्कर्ष

निकोटीन पाउच COTPA, PECA और ड्रग्स एक्ट में फैले एक जटिल नियामक ब्लाइंड स्पॉट पर कब्जा कर लेते हैं। अनधिकृत आयात पर रोक लगाने और व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य नुकसान और अवैध व्यापार को रोकने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम और विदेश व्यापार अधिनियम के तहत त्वरित प्रशासनिक अधिसूचनाएं अनिवार्य हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता

• **GS Paper II (शासन और सामाजिक न्याय):** सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियां, नियामक प्रवर्तन अंतर, वैधानिक निकाय (ICMR, DGFT, DCGI), और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विनियमन। • **GS Paper III (अर्थव्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा):** विदेश व्यापार नीति नियमन, आयात वर्गीकरण मानक, अवैध तस्करी की रोकथाम, और उपभोक्ता सुरक्षा ढांचा।

SEPTEMBER 8, 2026

